

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 260] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 1979/आषाढ़ 5, 1901
No. 260] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 1979/ASADHA 5, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

नई दिल्ली, 26 जून, 1979

अधिसूचना

का. आ. 358(अ).—कौलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 के खण्ड 4 के अनुसरण में, जो
साव्ययक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 के द्वारा लागू चल रहा
है, केन्द्रीय सरकार पत्रद्वारा भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की दिनांक
1 अगस्त, 1975 की अधिसूचना संख्या गा. आ. 403 (इ) में निम्नलिखित संशोधन
और करती है यथा—

उक्त अधिसूचना में रागणी 4 के बाद वाले नोट में :—

(क) नोट 3 में अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, यथा:—

“जब महसूल, हार्ड कोक बनाने के लिए उद्योग में लागू जाने वाले कच्चे कोयले
पर लगाया जाता है तो हार्ड कोक के प्रतिष्ठन पर वसूल किया जाने वाला महसूल,

हार्ड कोक बनाने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले की दूरी को 1.5 से गुणा करके निकाला जाएगा।”

(ख) नोट 4 में अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, यथा :—

“जब महसूल साफ्ट कोक बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कच्चे कोयले पर लगाया जाता है तो साफ्ट कोक के प्रोसेसिंग पर वसूल किया जाने वाला महसूल साफ्ट कोक बनाने के लिए उपयोग में लाए गए कच्चे कोयले की दूरी को 1.35 से गुणा करके निकाला जाएगा।

[फा. सं. 28012/5/79-सी. ए.]

जी. बी. जी. रामन, उप सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 25th June, 1979

NOTIFICATION

S.O. 358(E).—In pursuance of Clause 4 of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 408 (E) dated the 1st August, 1975, namely :—

In the said notification, in the Notes occurring after Table IV,—

(a) in Note 3, the following shall be inserted at the end, namely :—

“When the impost is on the raw coal used for the manufacture of hard coke, the sum on account of the impost, realisable per tonne of hard coke shall be ascertained by multiplying the rates for the raw coal used in the manufacture of hard coke by 1.5”.

(b) in Note 4, the following shall be inserted at the end, namely :—

“When the impost is on the raw coal used for the manufacture of soft coke, the sum on account of the impost realisable per tonne of soft coke shall be ascertained by multiplying the rates for the raw coal used in the manufacture of soft coke by 1.35”.

[F. No. 28012/5/79-C.M.]

G. V. G. RAMAN, Dy. Secy.